भाप्रसंबें में रैगिंग - विरोधी नीति

भाप्रसंबें सभी छात्रों को रैगिंग मुक्त अधिगम परिवेश का आश्वासन देता है और रैगिंग को रोकने के लिए हर प्रयास करेगा और यदि रैगिंग होती है तो शिकायतों के समाधान के उपाय करेगा ।

रैगिंग में जाति, नस्ल, रंग, धर्म, जातीयता, लिंग, यौन रुझान , दिव्यांगता, रूप - रंग , राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय मूल, भाषाई पहचान, जन्म स्थान या आवास और आर्थिक स्थिति सहित किसी भी आधार पर दुर्व्यवहार का कोई भी कृत्य, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, किसी अन्य छात्र को लक्षित करना, चाहे वह नया छात्र हो या वरिष्ठ, शामिल है।

कोई पीड़ित व्यक्ति रैगिंग की किसी भी घटना की रिपोर्ट antiragging@iimb.ac.in पर ईमेल भेजकर कर सकता है और प्रशासन उस व्यक्ति के मुद्दों की समस्याओं दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा ।

रैगिंग - विरोधी समिति

रैगिंग - विरोधी समिति में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (मुप्रअ), आवासी चिकित्सा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी (छात्रावास), पीजीपी छात्र - अध्यक्ष, और प्रत्येक डिग्री कार्यक्रमों से एक छात्र प्रतिनिधि शामिल हैं। पीजीपी और पीजीपीबीए के अध्यक्ष, समिति को इसके अधिदेश के निष्पादन पर सलाह देंगे । समिति और इसके सदस्य भाप्रसंबें को रैगिंग मुक्त रखने के लिए सभी उपाय करेंगे । मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी (छात्रावास) रैगिंग-विरोधी ईमेल पर, शिकायतों की निगरानी करेंगे ताकि शिकायत होने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके । भाप्रसंबें में रैगिंग को रोकने के लिए, समिति निश्चित समय पर अन्य छात्र और कर्मचारी स्वयंसेवकों को शामिल कर सकती है ।

रैगिंग – विरोधी उपाय

रैगिंग को रोकने के उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये इतने तक सीमित नहीं हैं :

1. विवरणिकाओं, मैनुअल और प्रस्तुतिकरणों में रैगिंग-विरोधी नीति विवरण शामिल करना । रैगिंग को समाप्त करने के लिए भाप्रसंबें की प्रतिबद्धता पर जोर देने के लिए कार्यशालाओं और अभियानों जैसे मंचों का उपयोग करना ।

2. भाप्रसंबें में रैगिंग - विरोधी उपायों को स्वीकार करते हुए छात्रों और अभिभावकों से वचनबद्धता प्राप्त करना ।

3. रैगिंग के सूक्ष्म रूपों को रोकने के लिए आकस्मिक औचक निरीक्षण सहित छात्र व्यवहार की निगरानी करना ।

4. संभावित दोषियों और पीड़ित छात्रों को उचित व्यवहार पर परामर्श देना ।

5. भाप्रसंबें के मानदंडों के अनुसार जिन मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है, उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए छात्र कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष को मामले अग्रेषित करना

भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर

माता-पिता/अभिभावक द्वारा घोषणा

जिससे भी यह संबंधित हो

मैं.. .... का माता-पिता / अभिभावक पूरी तरह से समझता / समझती हूँ कि भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर में छात्रों की रैगिंग पर प्रतिबंध है । मैं यह भी स्पष्ट रूप से समझता हूँ / समझती हूँ कि भाप्रसं बेंगलूर का कोई भी छात्र जो रैगिंग में शामिल पाया जाता है, उसे उचित दंड दिया जाएगा, जिसमें संस्थान से निष्कासन भी शामिल हो सकता है । अतः मैं रैगिंग पर संस्थान की विचार पद्धति से पूरी तरह अवगत हूँ ।

माता-पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर

दिनांक: ....

भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर

अभ्यर्थी द्वारा की घोषणा

जिससे भी यह संबंधित हो

मैं, ... स्पष्ट रूप से समझता / समझती हूँ कि भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर में छात्रों की रैगिंग पर प्रतिबंध है ।
मैं यह भी स्पष्ट रूप से समझता / समझती हूँ कि भाप्रसं बेंगलूर का कोई भी छात्र जो रैगिंग में शामिल पाया जाता है, उसे उचित दंड दिया जाएगा, जिसमें संस्थान से निष्कासन भी शामिल हो सकता है। अतः मैं रैगिंग पर संस्थान की विचार पद्धति से पूरी तरह अवगत हूँ ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक: ....